

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 331 / 27-4 फतेहपुर, दिनांक – 05 / 08 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय :- इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी 0 64.000 से 57.000 के मध्य दांयी पटरी पर एवं जहानाबाद-अमौली मार्ग के किमी 0 0 000 से 10.000 के मध्य बांयी पटरी पर कुल लम्बाई 17.000 किमी 0 में एच.डी.डी. तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम.एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावाति 0.850 हे० के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या -पी 158/81-2-2022-800(152)/2022 दिनांक 13.07.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 193/11-सी दिनांक 15.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 05.08.2022 द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या मय संलग्नक ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करवाते हुये चार प्रतियों में संलग्न सहित निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र.	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	As per compliance 1, Indraprastha Gas Limited, hereby undertakes that as per Forest (Protection) Act, 1980 legal status of the land will remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal	As per compliance 2, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that all the funds has been submitted to CAMPA fund only thorough e-portal (http://parivesh.nic.in/) and challan copy for the same has been attached.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	As per compliance 3, the complete compliance of the FRA, 2006 has been attached with this Compliance Report.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	Not Applicable
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	As per compliance 5, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

6	No labor camps shall be established on the forest land.	As per compliance 6, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that No labor camps shall be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.	As per compliance 7, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	As per compliance 8, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	As per compliance 9, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	As per compliance 10, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that the Certificate of DFO certifying that No Violation of FC Act, 1980 has to be submitted.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time on the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	As per compliance 11, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time on the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://Parivesh.nic.in)	As per compliance 12, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that all the compliance report will be uploaded on only thorough e-portal (http://parivesh.nic.in/) and challan copy for the same has been attached. The compliance report uploaded on e-portal.
13	पाइप लाइन /टेलीफोन लाइन /मार्गों /सड़को /वर्तमान Surface Right में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा पाइपलाइन/मार्गों/सड़को/वर्तमान Surface Right में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	गैस पाइपलाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज 2.00 मी० गहराई 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक न होगी।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेंच की साइज 2.00 मी० गहराई 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।
15	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पेक्ट करना होगा कि भू-रक्षण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-रक्षण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
16	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन	याचक विभाग द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन

	वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी । परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।	विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी एवं किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जाएगी ।	याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी ।	याचक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी ।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व की पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा ।	याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ यह वचनबद्धता संलग्न की गयी है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा ।
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिंदु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा । जो इस प्रकार है -	
20(i)	सी०एन०जी०/गैस पाइपलाइन बिछाने वाली ऐसी कंपनियां जो लगातार गैस पाइपलाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय ,शहर से ग्रामीण ,अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व जी भांती प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी ।	याचक विभाग द्वारा उ०प्र० शासन की पत्र सं० जी० आई०-196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 2.7.2010 एवं शासनादेश दिनांक 7.1.2011 के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद में किसी एक स्थान पर कुल 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रु० 93,60,000/- (तिरानबे लाख साठ हजार मात्र) ड्राफ्ट सं० 017022 (रु० 90,00,000/-) एवं 017024 (रु० 3,60,000/-) दिनांक 7.7.2010 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
20(ii)	ऐसी कंपनिया, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है ,उस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 5 वर्ष तक के रख रखाव के लिए निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत	याचक विभाग, सी०एन०जी०/ पी०एन०जी० गैस पाइपलाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइपलाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय ,शहर से ग्रामीण ,अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है । अतः लागू नहीं होता है ।

	सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक /प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के ही उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र कर लिया गया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
22	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है ,जो कि प्रस्ताव के संलग्न है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नहीं है।
24	यदि प्रश्नगत भूमि सेंचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रश्नगत भूमि सेंचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	आवश्यकता नहीं है।

27	नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	अपेक्षित नहीं है।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	याचक विभाग द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का अनुपालन करेगा।
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ० सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन० पी० वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Managment and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर, उ०प्र० के पत्र सं० 140/27-4 फतेहपुर दिनांक 15/07/2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही है 0.85 हे. संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन० पी० वी०) की धनराशि 814113.00 (आठ लाख चौदह हजार एक सौ तेरह रुपए मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 29.07.2022 को जमा करा दी गयी तथा ऑनलाइन चालान की प्रति सलंगन है।
32	परियोजना में 12 इंच डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन० पी० वी० का भुगतान किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर, उ०प्र० के पत्र सं० 140/27-4 फतेहपुर दिनांक 15/07/2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही है 0.85 हे. संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन० पी० वी०) की धनराशि 814113.00 (आठ लाख चौदह हजार एक सौ तेरह रुपए मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से

		दिनांक 29.07.2022 को जमा करा दी गयी तथा ऑनलाइन चालान की प्रति संलग्न है।
33	उपरोक्तानुसार निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	विधिवत स्वीकृति के लिए निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपके कार्यालय को प्रेषित है।
34	प्रश्नगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिंदु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयम् उत्तरदायी होंगे।	प्रस्ताव के साथ सुसंगत प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग

फतेहपुर

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी विभाग,
फतेहपुर, उ०प्र०

विषय: जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

सन्दर्भ: आपका पत्रांक सं०- पी-158/81-2-2022-800(152)/2022 दिनांक 13.07.2022

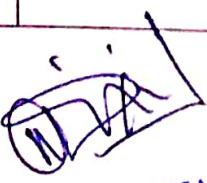
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम बिन्दुवार निस्तारण:-

क्र.	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	As per compliance 1, Indraprastha Gas Limited, hereby undertakes that as per Forest (Protection) Act, 1980 legal status of the land will remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal	As per compliance 2, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that all the funds has been submitted to CAMPA fund only thorough e-portal (http://parivesh.nic.in/) and challan copy for the same has been attached.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	As per compliance 3, the complete compliance of the FRA, 2006 has been attached with this Compliance Report.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	Not Applicable
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	As per compliance 5, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.


KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

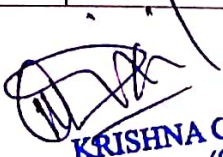
6	No labor camps shall be established on the forest land.	As per compliance 6, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that No labor camps shall be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.	As per compliance 7, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	As per compliance 8, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	As per compliance 9, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	As per compliance 10, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that the Certificate of DFO certifying that No Violation of FC Act, 1980 has to be submitted.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time on the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	As per compliance 11, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time on the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://Parivesh.nic.in)	As per compliance 12, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that all the compliance report will be uploaded on only thorough e-portal (http://parivesh.nic.in/) and challan copy for the same has been attached. The compliance report uploaded on e-portal.


KRISHNA CHANDRA DIXIT
 (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
 Kanpur (Part) Fatchpur & Hamirpur
 806/810, 8th Floor, Kan Chamber
 Civil Lines, Kanpur-203001

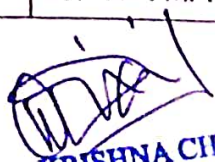
13	पाइप लाइन /टेलीफोन लाइन /मार्गो /सडको /वर्तमान Surface Right में प्रयुक्त रास्तो के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे ।	याचक विभाग द्वारा पाइपलाइन/मार्गो/सडको/वर्तमान Surface Right में प्रयुक्त रास्तो के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	गैस पाइपलाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज़ 2.00 मी० गहराई 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक न होगी ।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेंच की साइज़ 2.00 मी० गहराई 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक नहीं होगी ।
15	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पेक्ट करना होगा कि भू-रक्षण की सम्भावना न हो ।	याचक विभाग द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-रक्षण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।
16	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी । परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।	याचक विभाग द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी एवं किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जाएगी ।	याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी ।	याचक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी ।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व की पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा ।	याचक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ यह वचनबद्धता संलग्न की गयी है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा ।
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिंदु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा । जो इस प्रकार है -	
20(i)	सी०एन०जी०/गैस पाइपलाइन बिछाने वाली ऐसी कंपनियां जो लगातार गैस पाइपलाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय ,शहर से ग्रामीण ,अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व जी भांती प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त	याचक विभाग द्वारा उ०प्र० शासन की पत्र सं० जी० आई०-196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 2.7.2010 एवं शासनादेश दिनांक 7.1.2011 के अनुपालन में जनपद गाज़ियाबाद में किसी एक स्थान पर कुल 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रु० 93,60,000/- (तिरानबे लाख साठ हजार मात्र) ड्राफ्ट सं० 017022 (रु० 90,00,000/-) एवं


KRISHNA CHANDRA DIXIT
 (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
 Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
 808/810, 8th Floor, Kan Chamber
 Civil Lines, Kanpur-208001

	यथावत लागू रहेगी।	017024 (रु० 3,60,000/-) दिनांक 7.7.2010 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाज़ियाबाद में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
20(ii)	ऐसी कंपनिया, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाती है अर्थात जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 5 वर्ष तक के रख रखाव के लिए निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	याचक विभाग, सी०एन०जी०/ पी०एन०जी० गैस पाइपलाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइपलाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय, शहर से ग्रामीण, अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है। अतः लागू नहीं होता है।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक /प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के ही उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
22	प्रोयक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जो कि प्रस्ताव के संलग्न है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नहीं है।


KRISHNA CHANDRA DIXIT
 (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
 Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
 808/810, 8th Floor, Kan Chamber
 Civil Lines, Kanpur-208001

24	यदि प्रश्नगत भूमि सैचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रश्नगत भूमि सैचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	आवश्यकता नहीं है।
27	नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	अपेक्षित नहीं है।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	याचक विभाग द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का अनुपालन करेगा।
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक


KRISHNA CHANDRA DIXIT
 (GA Head)
 INDRAPRASTHA GAS LIMITED
 Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
 808/810, 8th Floor, Kan Chamber
 Civil Lines, Kanpur-208001

	दाखिल रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ० सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन० पी० वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Managment and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	वानिकी प्रभाग, फतेहपुर, उ०प्र० के पत्र सं० 140/27-4 फतेहपुर दिनांक 15/07/2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही है 0.85 हे. संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन० पी० वी०) की धनराशि 814113.00 (आठ लाख चौदह हजार एक सौ तेरह रुपए मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 29.07.2022 को जमा करा दी गयी तथा ऑनलाइन चालान की प्रति संलग्न है।
32	परियोजना में 12 इंच डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन० पी० वी० का भुगतान किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर, उ०प्र० के पत्र सं० 140/27-4 फतेहपुर दिनांक 15/07/2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही है 0.85 हे. संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन० पी० वी०) की धनराशि 814113.00 (आठ लाख चौदह हजार एक सौ तेरह रुपए मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 29.07.2022 को जमा करा दी गयी तथा ऑनलाइन चालान की प्रति संलग्न है।
33	उपरोक्तानुसार निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	विधिवत स्वीकृति के लिए निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपके कार्यालय को प्रेषित है।
34	प्रश्नगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिंदु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयम् उत्तरदायी होंगे।	प्रस्ताव के साथ सुसंगत प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग की अनुमति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

प्रभागीय निदेशक
सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

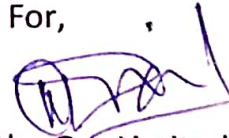
KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-01)

As per compliance 1, Indraprastha Gas Limited, hereby undertakes that as per Forest (Protection) Act, 1980 legal status of the land will remain unchanged.

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DAHIYA
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

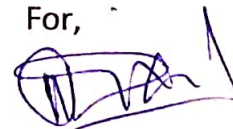
प्रमाणीय निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रमाण
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-02)

As per compliance 2, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that all the funds has been submitted to CAMPA fund only thorough e-portal (<http://parivesh.nic.in/>) and challan copy for the same has been attached.

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक
सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

FORM-1**Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Fatehpur (U.P.)**

No...165/27.4.....

Dated...18-07-22.....

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

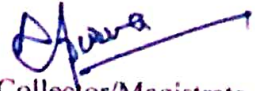
In compliance of The Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modifications of above said letter, MOEF exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights to schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers in case of linear projects vide ministry of environment and forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 28-10-2014

It is further certified that:-

- a) **An area of 0.850 Hectare** of protected forest land is proposed to be diverted for non-forestry purpose to **Indraprasth Gas Limited, Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur, Civil Lines, Kanpur** for Laying of 12" (300mm) Carbon steel Gas Pipeline along Chaudagra-Ghatampur-Bhognipur Marg (SH-46) On R.H.S From Km. 64.000 to Km. 57.000 (Length 07.00Km) & Jahanabad-Amauli Marg (MDR-35) from km. 0.000 to km. 10.000 (Length 10.00Km) Total Km. 17 & 0.850 Ha in Social Forestry Division of Fatehpur District.
1. **At Road along Chaudagra-Ghatampur-Bhognipur Marg (SH-46) On R.H.S From Km. 64.000 to Km. 57.000 (Length 07.00Km) & Jahanabad-Amauli Marg (MDR-35) from km. 0.000 to km. 10.000 (Length 10.00Km) Total Km. 17 & 0.850 Ha District - Fatehpur, (U.P.) In Forestry Division Fatehpur UP Of Protected Forest Land.**
- b) The proposal does not affect the recognized rights and interests of primitive Tribal Groups of agriculture Communities, as those are having no recorded population in the above stated region of protected forest land.
- c) The forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 is located in villages having no recorded populations of Schedule Tribes as per census 2001 and the census 2011. The requirement of forest land as proposed by the agency is barest minimum.

प्रभागीय निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर



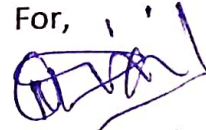

District Collector/Magistrate
Fatehpur
जिला माजिस्ट्रेट
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-03)

As per compliance 3, the complete compliance of the FRA, 2006 has been attached with this Compliance Report.

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DIXIT

(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur

808/810, 8th Floor, Kan Chamber

Civil Lines, Kanpur-208001

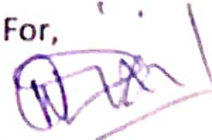
प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-ओगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-05)

As per compliance 5, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that the layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government

For,



Indraprastha Gas Limited
KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

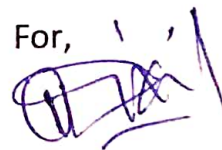

प्रभागीय निदेशक
सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-06)

As per compliance 6, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that No labor camps shall be established on the forest land.

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-07)

As per compliance 7, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the laborer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel.

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रशासकीय निदेशक

सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-08)

As per compliance 8, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DIXIT

(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur

808/810, 8th Floor, Kan Chamber

Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक

सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग

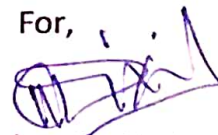
- फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-09)

As per compliance 9, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DIXIT

(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur

808/810, 8th Floor, Kan Chamber

Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक

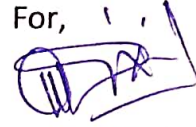
सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-10)

As per compliance 10, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that the Certificate of DFO certifying that No Violation of FC Act, 1980 has to be submitted.

For,



Indraprastha Gas Limited
KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एव जहानाबाद अमीली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-11)

As per compliance 11, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time on the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001



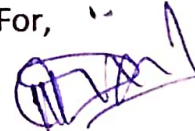
प्रभागोय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

Undertaking (Point No.-12)

As per compliance 12, Indraprastha Gas Limited hereby undertakes that all the compliance report will be uploaded on only thorough e-portal (<http://parivesh.nic.in/>) and challan copy for the same has been attached. The compliance report uploaded on e-portal.

For,



Indraprastha Gas Limited

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

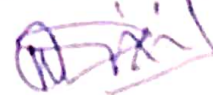

प्रभागीय निदेशक
सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -13

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि पाइपलाइन/मार्गो/सडको/वर्तमान Surface Right में प्रयुक्त रास्तो के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(OA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Karnpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Karnpur-208001

प्रमाणित निदेशक

सांख्यिक एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-ओगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमीली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवातनिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -14

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गये ट्रेंच की साइज 2.00 मी० गहराई 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

चर
प्रभागीय निदेशक
सा० बा० वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -15

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-रक्षण की सम्भावना न हो इसका पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागाय निदेशक,
सा०वा०वन एवं बन्वजीव प्रभाग
फतेहपुर

जलपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-ओमनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमीनी मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एकपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -16

याचक विभाग द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी एवं किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -17

याचक विभाग द्वारा वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में वचनबद्धता दी जाती है।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

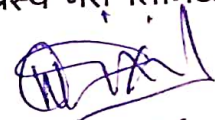
प्रभागीय निदेशक
सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग
- फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -18

याचक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT

(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur

808/810, 8th Floor, Kan Chamber

Civil Lines, Kanpur-208001



प्रभागीय निदेशक

सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाला

फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमीली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -19

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT

(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur

806/810, 8th Floor, Kan Chamber

Civil Lines, Kanpur-208001


प्रमाणित निदेशक
सी०बी०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रक,

संख्या-

114-2-2016

संजय सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2011

विषय: सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने पर 20 किमी0 तीन लाइनों में
वृक्षारोपण कराये जाने के शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-689/14-2-2009, दिनांक
25-6-2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत
मामले में विचारोपराक्त उक्त शासनादेश संख्या-689/14-2-2009, दिनांक
25-6-2010 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1)- सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कंपनियां, जो
लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर
न होकर अन्तर्जिला, शहर से पामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से
दूसरा प्रदेश होता है, उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक
स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त
बधावत् लागू रहेगी।

(2)- ऐसी कंपनियां, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस
आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती है अर्थात् जिसका क्षेत्र एक शहर
होता है, उस कंपनी को भारत सरकार के अन्तर्गत वन विभाग के
वर्णित अतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रमान्यताएं दुरुपे 0-20 मीटर तक
या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के
रक्ष-रखाव के लिये निदेशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त
रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश
में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख
किया जायेगा। इस धनराशि को प्रधानतया शहरी वृक्षारोपण में खर्च
किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश संशोधित पदा जाय।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1- सगरत मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- सगरत वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- सगरत प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

Raman

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA

(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

प्रभागीय निदेशक
सा.वा.वन एवं वन्यजीव
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 74/22-1 दिनांक गाजियाबाद 3 जुलाई, 2010

शेवा में,

मुख्य प्रबंधक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई0सी0एल0 भवन,
प्लॉट नं0-4, आर0कै0 पुरम,
सेक्टर-9, नई दिल्ली।

विषय. गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाई से महागाया स्टेडियम तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का दिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ उ0प्र0 शासन की पत्र सं0-जी0आई0-196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

सम्बन्धित संदर्भित शासनदेश जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सन्वोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के बिन्दु सं0-15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जाएगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जान हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्रामट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति कि0मी0	बांछित धनराशि
1	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	रु0 4,50,000/-	रु0 90,00,000/-
	प्रशासनिक व्यय	4 प्रतिशत	रु0 3,60,000/-
कुल योग :-			रु0 93,60,000/-


KRISHNA CHANDRA DAXI
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

KRISHNA CHANDRA DAXI
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

प्रभागीय निदेशक
सांस्कृतिक एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part), Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

भवदीय


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

प्रभागीय निदेशक
सांस्कृतिक एवं वन्यजीव प्रभाग

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1776

Date: 7 July 2010

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1
(Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghaziipur

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of Rs.93.60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only).

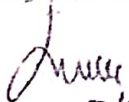
Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July 2010 of Rs.3,60,000/- against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

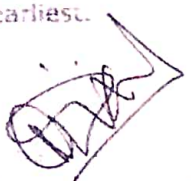
We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,


KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001
Chief Manager


7/7/10
SFD-925


KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part), Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

प्रमाणीय निदेशक
सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर
Encl: Demand Draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90

प्रमाणीय निदेशक
सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -20

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व की पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DEXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001



प्रमाणित निदेशक
सा०वा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में । (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -21

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र कर लिया गया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ सलंगन है

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक
सांवांवन एवं बन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एकपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -28

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के सरंक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT

(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur

808/810, 8th Floor, Kan Chamber

Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक

सांवांवन एवं वन्यजीव प्रभाग

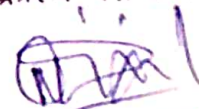
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -29

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kapur (Part) I, Jethpur & Hamarpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kapur-208001



प्रमाणीय निदेशक
सांवांवन एवं वन्यजीव विभाग
फतेहपुर

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 64 से किमी० 57 के मध्य 7 किमी० दायी पटरी पर एवं जहानाबाद अमीली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग -35) के किमी० 0 से किमी० 10 के मध्य 10 किमी० बायी पटरी (As per ROW mentioned in the attached drawing), कुल लम्बाई 17 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.850 सरंक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- एफपी/यूपी/पाइपलाइन/149748/2021)

वचनबद्धता प्रमाण -पत्र , बिंदु सं० -30

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का अनुपालन करेगा।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

KRISHNA CHANDRA DIXIT

(GA Head)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur

808/810, 8th Floor, Kan Chamber

Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक

सा० बा० वन एवं वन्यजीव प्रभाग

फतेहपुर

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-Amount to be PRINCIPLE Paid/ Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/149748/2021 Viewreport.aspx? pid=FP/UP/Pipeline/149748/2021 Laying of Carbon Steel Gas Pipe Line (300mm) along with road on Chaudhagra-Ghatampur-Bhogpur Marg (SH-46) from Km. 64 to Km. 57 (On R.H.S.) Km. 7.0 & Jahanabad-Amauli Marg (MDR-35) from Km. 0 to Km. 10 (On L.H.S.) Km. 10, Total Km. 17 & 0.850 Ha. In Forest Division/ Social Forestry Division Fatehpur, District- Fatehpur (UP).	PIPELINE1497482021779	72149748779	13 Jul 2022	PAID	Fund Demand Verified by : 18 Jul 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Generated On : 18 Jul 2022 Transaction Date : 30 Jul 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/160720222006459337_FPUPPipeline149 Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELIN
2	FP/UP/Pipeline/148458/2021 Viewreport.aspx? pid=FP/UP/Pipeline/148458/2021 Project for Laying of Carbon Steel Gas Pipe Line (300mm) along with road on Chaudhagra-Ghatampur-Bhogpur Marg (SH-46) from Km. 82 to Km. 64 (On R.H.S.) Km. 18.0, Total Km. 18 & 0.900 Ha. In Forest Di	PIPELINE1484582021119	72148458119	28 Mar 2022	PAID	Fund Demand Verified by : 05 Apr 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Generated On : 23 Apr 2022 Transaction Date : 21 Apr 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/040420221554149919_FPUPPipeline148 Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELIN

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

gov

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) |
Accessibility Statement (Accessibiltystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 18-07-2022	
Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED NEW DELHI
Application No.	72149748779
State Code.	DL
Address.	IGL Bhawan, Plot No.4, Community Center, Sector 9, R.K. Puram New Delhi
Amount(in Rs)	814113/-
Amount in Words : Eight Lakh Fourteen Thousand One Hundred and Thirteen Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP72149748779
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 18-07-2022	
Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED NEW DELHI
Application No.	72149748779
State Code.	DL
Address:	IGL Bhawan, Plot No.4, Community Center, Sector 9, R.K. Puram New Delhi
Amount(in Rs)	814113/-
Amount in Words : Eight Lakh Fourteen Thousand One Hundred and Thirteen Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP72149748779
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com


KRISHNA CHANDRA DIXIT
(GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part) Fatehpur & Hamirpur
808/810, 8th Floor, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रमाणीय निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उलंघन

सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46) के किमी० 64.000 से 57.000 के मध्य बांयी पटरी पर एवं जहानाबाद-अमौली मार्ग के किमी० 0.000 से 10.000 के मध्य बांयी पटरी पर कुल लम्बाई 17.000 किमी० में एच.डी.डी. तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम.एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावाति 0.850 हे० के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में , इन्द्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उलंघन नहीं किया गया है।


(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर


प्रभागीय निदेशक
सा०बा०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Prapatra-1

S. No 1	Details 2	Compliance 3
1	CA amount as per proposal	Rs. 00.00
2	CA amount deposited	Rs. 00.00
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	0
5	NPV amount as per proposal	Rs. 814113.00
6	NPV amount deposited	Rs. 814113.00
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	0
9	Any other amount deposited- (Plantation and 10 years maintenance of dwarf plants under transmission line)	Rs. 0.00
10	CAMPA confirmation	Payment has been made through E- Payment by Transaction ID- 682263 Date – 30-07-2022 in CAMPA fund, CAMPA confirmation receipt enclosed here with us.


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर


प्रभागीय निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर